न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 68/2024/अपील/एलआरएक्ट/बारां कोर्ट कैंप
दायरा दिनांकः 16.08.2024
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

बनवारी पुत्र श्यामलाल जाति किराड़, निवासी ग्राम मामोनी, तहसील शाहाबाद, जिला बारां

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शाहाबाद, जिला बारां

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री बृजराज सिंह चौहान, श्री चन्द्रमोहन वर्मा, अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 02.05.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बारां (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 03/2023 बउनवान बनवारी बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2024 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, शाहाबाद द्वारा प्रकरण संख्या 60/2023 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 14.02.2023 से अपीलार्थी को वाके ग्राम मामोनी की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2079 में खसरा संख्या 801 की 3.00 बीघा भूमि पर फसल गेहूं काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर एक माह की सिविल कारावास की सजा एवं 45/– रूपये शास्ति से दण्डित किये जाने के विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 30.05.2024 से खारिज की गई। उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायलय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालयों में अपीलार्थी को सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर नहीं दिया गया है तथा एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलार्थी को दोषी मानकर दण्डित किया गया है। अपीलार्थी का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है तथा कब्जा छोड़ दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर अतिक्रमण/कब्जे की जांच किये बिना सजायाब करने में त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा भी पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में भूल की

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों में अपीलार्थी को सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर नहीं दिया गया है। मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलार्थी को दोषी मानकर दण्डित किया गया है। अपीलार्थी का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है तथा कब्जा छोड़ दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर अतिक्रमण/कब्जे की जांच किये बिना सजायाब करने में त्रुटि की है, जबकि मौके पर उक्त भूमि खाली पड़ी हुई है। इस प्रकार अपीलार्थी पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा वाके ग्राम मामोनी की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2079 में खसरा संख्या 801 की 3.00 बीघा भूमि पर फसल गेहूं की काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर एक माह की सिविल कारावास की सजा एवं 45/– रूपये शास्ति से दण्डित किये जाने का न्यायालय तहसीलदार, शाहाबाद द्वारा निर्णय दिनांक 14.02.2023 पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा भी अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 30.05.2024 से अपील अपीलार्थी खारिज की गई। अतः अपील खारिज की जावे।

5 प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन कर बहस अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय तहसीलदार, शाहाबाद द्वारा अपीलार्थी को वाके ग्राम मामोनी की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2079 में खसरा संख्या 801 की 3.00 बीघा भूमि पर फसल गेहूं की काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर एक माह की सिविल कारावास की सजा एवं 45/– रूपये शास्ति से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 14.02.2023 पारित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 30.05.2024 से अपील अपीलार्थी खारिज की गई। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय हाजा में अपीलार्थी का तर्क रहा है कि अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है। परीक्षण न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलार्थी की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है तथा कब्जा छोड़ दिया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेज/साक्ष्य नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो कि अपीलार्थी ने पूर्व में वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया हो। उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शाहाबाद की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी को सम्वत् 2078 में अतिक्रमण किये जाने पर प्रकरण सं0 225/22 निर्णय दिनांक 26.03.2022 से अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने पर सम्वत 2079 में खसरा सं0 801 की रकबा 3 बीघा भूमि पर पुनः अतिक्रमी होने पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 14.02.2023 से 45/– रूपये शास्ति आरोपित करते हुए एक माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है। प्रकरण में अपीलार्थी का कथन रहा है कि उक्त भूमि पर कोई कब्जा अपीलार्थी का नहीं है तथा कब्जा छोड़ दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

पर अतिक्रमण/कब्जे की जांच किये बिना सजायाब करने में त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए तथा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर न्यायालय जिला कलक्टर, बारां का निर्णय दिनांक 30.05.2024 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण न्यायालय तहसीलदार, शाहाबाद को इन निर्देशों के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि "ग्राम मामोनी की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2079 में खसरा संख्या 801 की 3.00 वीघा भूमि" पर से अपीलार्थी द्वारा कब्जा हटा लिया हो तथा भविष्य में कभी कब्जा नहीं करने बावत् अपीलार्थी परीक्षण न्यायालय तहसीलदार शाहाबाद में शपथ–पत्र पेश कर दे तथा मौके पर उक्त अतिक्रमित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा नहीं होने की पुष्टि तहसीलदार, शाहाबाद स्वयं अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक से करवाये जिसमें यह साबित हो जाए कि अपीलार्थी/अतिक्रमी द्वारा कब्जा छोड़ दिया है तो एक माह के सिविल कारावास के दण्ड के आदेश को निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश जुर्माना आदि यथावत रहेगा। यदि मौके पर अपीलार्थी का कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास का दण्ड यथावत रहेगा।

6 निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा